68

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण कमांक ..../17

III/निगरानी/रीवा/भू०रा०/2017/3866

सरमन यादव पिता स्व0 चन्दा यादव निवासी ग्राम छोटी पांती तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

-----आवेदक

बनाम

1. विश्वंभर यादव तनय स्व0 चन्दा यादव
2. रामहित यादव तनय स्व0 चन्दा यादव

निवासीगण ग्राम छोटी पांती तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

—अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई. विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0 दिनांक 09.10.2017 जो प्रकरण 68/अ-27/2014-15 मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.10.17 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।
2. नामांतरण पंजी कमांक-14 मे पारित आदेश दिनांक 08.07.13 के द्वारा सहमति के आधार पर पूर्व के बंटवारा अनुसार जो जिसका कब्जा हिस्सा जिस भूमि मे जितने रकवे मे था के अनुसार प्रमाणित किया गया था तद्नुसार अपील ग्राह्य व पोषणीय नही थी व धारा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन स्वीकार योग्य नही था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर विचार किए बिना तकनीकी आधार पर जो प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है निरस्त होने योग्य है।

68

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग./17/3866 जिला रीवां

सरमन यादव विरूद्ध विश्वम्भर यादव

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री अरविन्द पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 68/अ 27/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 9-10-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	